LOK SABHA DEBATES

(Part I — Proceedings with Questions and Answers)

The House met at Eleven of the Clock

Friday, August 08, 2025 / Sravana 17, 1947 (Saka)

HON'BLE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri N. K. Premachandran

Shri Jagdambika Pal

Shri P. C. Mohan

Shrimati Sandhya Ray

Shri Dilip Saikia

Kumari Selja

Shri Raja A.

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Shri Krishna Prasad Tenneti

Shri Awadhesh Prasad

LOK SABHA DEBATES

PART I – QUESTIONS AND ANSWERS

Friday, August 08, 2025 / Sravana 17, 1947 (Saka)

CONTENTS **PAGES**

OBITUARY REFERENCE	**1**
REFERENCES RE: HOMAGE TO FREEDOM FIGHTERS & MARTYRS ON 83RD ANNIVERSARY OF 'QUIT INDIA MOVEMENT'	**2**
ORAL ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 281 – 285)	**2A – 30**
WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 286 – 300)	**31 – 50**
WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS (U.S.Q. NO. 3221 – 3450)	**51 – 280**

Uncorrected – Not for Publication **LSS-D-II**

LOK SABHA DEBATES

(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

Friday, August 8, 2025 / Sravana 17, 1947 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

PART II – PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Friday, August 8, 2025 / Sravana 17, 1947 (Saka)

C ON T E N T S **P A G E S**

RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION 281

PAPERS LAID ON THE TABLE 281 - 83

MESSAGE FROM RAJYA SABHA 283

COMMITTEE ON WELFARE OF OTHER BACKWARD CLASSES 284
8th and 9th Reports

STANDING COMMITTEE ON EDUCATION, WOMEN, CHILDREN, YOUTH AND SPORTS 284
368th Report

STANDING COMMITTEE ON INDUSTRY 285
329th and 330th Reports

STANDING COMMITTEE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY, ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE 285 - 86
394th to 400th Reports

STANDING COMMITTEE ON PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES, LAW AND JUSTICE 286
152nd to 154th Reports

BUSINESS OF THE HOUSE 287

… 288

MATTERS UNDER RULE 377 – LAID 289 - 301

Shrimati Sangeeta Kumari Singh Deo 289

Shrimati Shobhanaben Mahendrasinh Baraiya 290

Shri Bunty Vivek Sahu **290**

Shri Vishnu Dayal Ram **291**

Shri Yogender Chandolia **291**

Dr. Rajesh Mishra **292**

Shri Rodmal Nagar **292**

Shri Darshan Singh Choudhary **293**

Dr. Nishikant Dubey **293**

Shrimati Mahima Kumari Mewar **294**

Shrimati Geniben Nagaji Thakor **294**

Dr. Shashi Tharoor **295**

Shri Gaurav Gogoi **295**

Adv. Adoor Prakash **296**

Shri Shyamkumar Daulat Barve **296**

Dr. Shivaji Bandappa Kalge **297**

Shri Lalji Verma **297**

Shri Devesh Shakya **298**

Dr. T. Sumathy *alias* Thamizhachi Thangapandian **299**

Shri Lavu Srikrishna Devarayalu **300**

Shri Rajabhau Parag Prakash Waje **300**

Dr. M. P. Abdussamad Samadani **301**

Adv. Chandra Shekhar **301**

… **302 - 04**

INCOME-TAX BILL **305**
(As reported by Select Committee)

Bill Withdrawn

… **306**

(1100/SK/UB)

1100 बजे (माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

निधन संबंधी उल्लेख

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अत्यंत दुःख के साथ मुझे सभा को हमारे पूर्व सहयोगी श्री सत्यपाल मलिक के निधन के बारे में सूचित करना है। वह उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से नौवीं लोकसभा के सदस्य थे।

इससे पहले श्री मलिक 1980 से 1989 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे।

श्री सत्यपाल मलिक केंद्रीय संसदीय कार्य और पर्यटन राज्य मंत्री भी रहे और अनेक संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे।

इससे पहले, वह 1974 से 1977 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य भी रहे।

श्री सत्यपाल मलिक ने जम्मू और कश्मीर, मेघालय, गोवा, ओडिशा और बिहार के राज्यपाल के रूप में भी अपनी सेवाएं दीं।

श्री सत्यपाल मलिक का निधन 79 वर्ष की आयु में 5 अगस्त, 2025 को नई दिल्ली में हुआ।

यह सभा श्री सत्यपाल मलिक के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है और शोकसंतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है।

अब सभा दिवंगत आत्मा के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी।

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

माननीय अध्यक्ष : ॐ शांतिः शांतिः शांतिः।

भारत छोड़ो आंदोलन की 83वीं वर्षगांठ पर स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि के विषय में उल्लेख

1102 बजे

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कल दिनांक 9 अगस्त को सम्पूर्ण राष्ट्र में भारत छोड़ो आंदोलन की 83वीं जयंती मनायी जाएगी। दिनांक 9 अगस्त, 1942 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने राष्ट्र को 'करो या मरो' का मंत्र दिया था। बापू के आह्वान पर पूरे राष्ट्र ने विदेशी शासन से भारत को स्वतंत्र कराने का सामूहिक संकल्प लिया था।

'भारत छोड़ो आंदोलन' देशवासियों के बीच अटूट एकता की शक्ति और अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध हमारे शांतिपूर्ण प्रतिरोध का शाश्वत प्रतीक है।

इस अवसर पर हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तथा अपने स्वतन्त्रता संग्राम के उच्च आदर्शों के प्रति स्वयं को पुनः समर्पित करते हैं।

1103 बजे

(इस समय श्री अभय कुमार सिन्हा, सुश्री महुआ मोइत्रा, श्री हैबी ईडन, डॉ. कलानिधि वीरास्वामी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न काल।

प्रश्न संख्या 281, श्री काली चरण सिंह जी।

… (व्यवधान)

(प्रश्न 281)

श्री काली चरण सिंह (चतरा) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे प्रश्न काल में प्रश्न पूछने का अवसर दिया, इसके लिए मैं सादर आभार व्यक्त करता हूं। … (व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि क्या केंद्र सरकार 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानव संसाधन नीति' (नेशनल हैल्थ वर्क फोर्स पॉलिसी) लाने पर विचार कर रही है जो राज्यों के लिए मानक भर्ती समय सीमा, स्टाफिंग नॉर्म्स और नियुक्ति के लिए मार्गदर्शन तय कर सके? … (व्यवधान)

(1105/VVK/NKL)

श्रीमती अनुप्रिया पटेल : अध्यक्ष महोदय, फिलहाल ऐसी कोई नीति लाने पर मंत्रालय में विचार नहीं किया जा रहा है।… (व्यवधान) जहाँ तक राज्यों में ह्यूमन रिसोर्स मैन पावर की उपलब्धता का विषय है, मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत हम राज्यों को टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट उपलब्ध करवाते हैं।… (व्यवधान) जिससे वे अपने हेल्थ-केयर इंफ्रास्ट्रक्टर को मजबूत कर सकें और मैन पावर की रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा कर सकें। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या आपका कोई सप्लिमेंट्री प्रश्न है?

… (व्यवधान)

श्री काली चरण सिंह (चतरा) : महोदय, मेरा एक ही प्रश्न है।… (व्यवधान)

डॉ. राजेश मिश्रा (सीधी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने प्रश्नकाल के दौरान मुझे पूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एवं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के निर्देशन में 'आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन-आरोग्य योजना', जो विश्व की सबसे बड़ी चिकित्सा बीमा योजना है, की वजह से गरीब जनता का बड़े अस्पतालों और चिह्नित अस्पतालों में उपचार हो रहा है, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य रोगों की प्राथमिक चिकित्सा मिल सके**,** इसके लिए पीएचसीज़, सीएचसीज़ व स्थापित जन-आरोग्य मंदिरों में चिकित्सकों की उपलब्धता बहुत कम है।… (व्यवधान) देश की जनसंख्या के हिसाब से एमबीबीएस डॉक्टरों की बहुत कमी है।… (व्यवधान)

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि एनएचएम के तहत पीएचसीज़, सीएचसीज़ व स्थापित जन-आरोग्य मंदिरों में बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस चिकित्सक, जिन्होंने कोविड के दौरान बहुत अच्छा कार्य किया था, क्या उन्हें प्राथमिक प्रशिक्षण देकर वहाँ पर पदस्थ करने की कोई योजना है? … (व्यवधान) यदि नहीं है, तो हम चिकित्सा सुविधाएँ कैसे उपलब्ध करवाएँगे व चिकित्सकों की कमी कब तक पूरी कर सकेंगे? धन्यवाद। … (व्यवधान)

श्रीमती अनुप्रिया पटेल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से यह कहना चाहती हूँ कि भारत की सरकार आज प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में हमारे डॉक्टर्स की और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।… (व्यवधान)

इस दृष्टि से हमने बहुत बड़ा कदम उठाया, देश में 157 नए मेडिकल कॉलेजेज़ स्थापित किए, जिनके माध्यम से आज बड़ी संख्या में देश को डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मिलने जा रहे हैं।... (व्यवधान) इतना ही नहीं, हमने जहाँ-जहाँ मेडिकल कॉलेजेज़ स्थापित किए, वहाँ पर हम कोलोकेशन में नर्सिंग कॉलेजेज़ की स्थापना भी कर रहे हैं, जिससे कि नर्सिंग स्टाफ भी मिल सके। ... (व्यवधान)

जहाँ तक हमारे सीएचसीज़, पीएचसीज़ या आयुष्मान आरोग्य-मंदिरों में मैन-पावर की उपलब्धता का प्रश्न है, मैं पहले भी यह स्पष्ट कर चुकी हूँ कि राज्यों के द्वारा हमें जो पीआईपीज़ प्रपोज की जाती हैं, उनके अंतर्गत एनएचएम के तहत हम राज्यों को तमाम किस्म की वित्तीय सहायता और टेक्निकल सपोर्ट देते हैं, जिससे वे अपनी मैन पावर की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें।... (व्यवधान)

एनएचएम के तहत हमने बहुत सारे विशेष प्रबंध भी किए हैं। विशेष तौर से रूरल या हार्ड-टू-रीच एरियाज़ में रहने के लिए हम डॉक्टर्स को हार्ड एरिया अलाउंस देते हैं।... (व्यवधान) इसी प्रकार हमारे सिजेरियन सेक्शंस वहाँ पर प्रॉपर्ली कंडक्ट हो सकें, उसके लिए हम गायनेकोलॉजिस्ट्स, पीडियाट्रिशियन्स और एनेस्थेटिस्ट्स को भी ऑनेरेरियम देते हैं।... (व्यवधान) इसके साथ ही एएनसी चेक-अप कराने के लिए स्पेशल इंसेंटिव्स की भी व्यवस्था है।... (व्यवधान)

अब राज्यों को नेगोशिएबल सैलरी का भी प्रावधान दिया गया है, जिसे हम 'यू कोट, वी पे' कहते हैं।... (व्यवधान) इसके अंतर्गत स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को हायर करने के लिए उनके द्वारा जो भी सैलरी कोट की जाएगी, वह सैलरी उन्हें राज्य द्वारा पे की जाएगी। ... (व्यवधान)

इस प्रकार से हमारी तमाम कोशिशें जारी हैं कि हमारे पीएचसीज़, सीएचसीज़ और तमाम आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में डॉक्टर्स या मेडिकल स्टाफ की कमी पूरी हो सके।... (व्यवधान) इसके साथ ही हम मल्टी स्किलिंग ऑफ डॉक्टर्स पर भी काम कर रहे हैं, ताकि स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की उपलब्धता को देश के कोने-कोने में सुनिश्चित किया जा सके। ... (व्यवधान)

SHRI G. M. HARISH BALAYOGI (AMALAPURAM): Thank you, hon. Speaker Sir, for giving me this opportunity. ... (*Interruptions*) I would like to draw the hon. Minister's attention to a very pertinent issue. My question is also quite similar to the one raised by my colleague who spoke earlier. ... (*Interruptions*)

Sir, the WHO recommends a doctor-to-patient ratio of 1:1000. … (*Interruptions*) But in my constituency, in Dr. B.R. Ambedkar Konaseema, the doctor-to-patient ratio stands at 1:21,279, and the nurse-to-patient ratio stands at 1:13,173. … (*Interruptions*)

(1110/VB/VR)

These figures reflect the acute shortage of medical personnel in my constituency. *....(Interruptions)*

In the light of the above, this is my question to the hon. Minister. What measures have been undertaken to address these shortages and improve the availability of medical personnel in rural and under-served regions like my constituency? *....(Interruptions)*

श्रीमती अनुप्रिया पटेल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपने संसदीय क्षेत्र से संबंधित स्पेशिफिक प्रश्न पूछ रहे हैं। भारत सरकार की जो ब्रॉड पॉलिसी है, देश में डॉक्टर्स और नर्सेस स्टाफ के शॉर्टेजेज को अड्रेस करने के लिए एनएचएम के तहत और अदरवाइज़ भी, मैंने पहले भी विस्तार से एक्सप्लेन किया है। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि भारत सरकार पिछले 11 वर्षों से, खास तौर से हमारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जिस गति से काम कर रहा है, आने वाले समय में डॉक्टर्स-पॉपुलेशन रेशियो डब्ल्यूएचओ के नॉर्म्स के अनुरूप ही होगा। हमारे देश के किसी भी कोने में डॉक्टर्स या स्पेशियलिस्ट डॉक्टर्स की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी।

(इति)

(प्रश्न 282)

माननीय अध्यक्ष : श्री सी. एम. रमेश - उपस्थित नहीं।
माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव : माननीय अध्यक्ष महोदय, विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।… (व्यवधान)

(इति)

(प्रश्न 283)

माननीय अध्यक्ष : श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल - उपस्थित नहीं।
माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव : माननीय अध्यक्ष महोदय, विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू**।**

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Thank you very much, Sir. Recently, in Andhra Pradesh, under the leadership of hon. Prime Minister Narendra Modi ji and under the leadership of hon. Chief Minister N. Chandrababu Naidu ji, the Yoga Diwas was celebrated. A huge turnout of about three lakh people had appeared and participated on the Yoga Diwas. *....(Interruptions)*

Sir, my question is with regard to treatment under the AYUSH scheme, especially through dedicated facilities developed under the scheme. *....(Interruptions)* The State's infrastructure is limited to just two 50-bedded integrated AYUSH hospitals which are under construction in Kakinada and Visakhapatnam districts. In a State like ours, only two 50-bedded hospitals are there. So, there is also a requirement of establishing such 50-bedded hospitals even in backward areas like Rayalaseema and Palnadu under Ayush scheme. *....(Interruptions)*

Therefore, I would like to know from the hon. Minister if there is any proposal to extend the scheme for establishing these 50-bedded hospitals in backward regions of Rayalaseema, Palnadu and even Ongole. Thank you. ....(Interruptions)

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव : माननीय अध्यक्ष महोदय, आन्ध्र प्रदेश में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बारे में, यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है, उसमें एनएचएम के माध्यम से, 60:40 के रेशियो में काम किये जाते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से आन्ध्र प्रदेश का जो वित्तीय आवंटन है, वर्ष 2013-14 में पूरे देश के लिए आवंटन 36 हजार करोड़ रुपए था।… (व्यवधान)

माननीय सदस्य, आप क्या पूछना चाहते हैं, कृपया एक बार फिर से कहें।… (व्यवधान)

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Sir, there are only two 50-bedded AYUSH hospitals in the State of Andhra Pradesh. *....(Interruptions)* One hospital is in Vishakhapatnam and the other is in Kakinada. But there is another backward region of Rayalaseema which does not have any such 50-bedded hospital. *....(Interruptions)* Ongole is another backward district which requires this facility. *....(Interruptions)* Then, there is my district also which is a backward district where there is no provision of 50-bedded AYUSH hospital. *....(Interruptions)*

In view of the above, I would like to know from the hon. Minister whether there is a possibility of sanctioning more Ayush hospitals so that this facility can be extend to even backward areas of Rayalaseema, Palnadu and Ongole? Thank you. *....(Interruptions)*

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव : माननीय अध्यक्ष महोदय, आन्ध्र प्रदेश के बारे में जो पूछा गया है, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि आन्ध्र प्रदेश में 616 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 13 निजी स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र और 13 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना और सुदृढ़ीकरण की परिकल्पना की गई है।… (व्यवधान)

आन्ध्र प्रदेश में जिलों के पुनर्गठन के मुद्दे के कारण अतिरिक्त 10 सीएचसीज और 13 पीएचसीज एवं 1,786 भवन रहित एसएचसीज आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्थापना के लिए राज्यों को आवंटित बजट में पुनर्नियोजन भी किया गया है।

(1115/SJN/PBT)

उसमें 571 इकाइयों का परित्याग करने हेतु वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2025-26 तक आवंटित यूनिटों की संख्या को 45 तक सीमित किया गया है। राज्यों से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार 1,786 भवन रहित आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 45 यूएएएम, 26 आईपीएचएल और 24 सीसीबीके का निर्माण व सुदृढ़ीकरण किया है। … (व्यवधान) आंध्र प्रदेश राज्य के 236 'शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों' की भी स्वीकृति दी गई है। राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 'पीएम-एबीएचआईएम' के अंतर्गत 45 यूएएएम में से वर्तमान में पांच यूएएएम भी कार्यरत हैं।… (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, पीआईपी के माध्यम से आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से जो भी डिमांड भेजी जाती है, निश्चित रूप से उसे पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता देने की कोशिश की जाती है। … (व्यवधान) (इति)

(प्रश्न 284)

श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर (खीरी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र इंडो-नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। वहां पर किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पा रही है। … (व्यवधान) क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हर वर्ष नेपाल से कितनी खाद की तस्करी की जाती है, जिससे किसानों का हक मारा जाता है और उनको समय पर यूरिया नहीं मिल पाती है? … (व्यवधान)

श्री जगत प्रकाश नड्डा : माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले यह बताना चाहूंगा कि उर्वरक को किसानों तक पहुंचाना है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय इसका मैन्डेट करता है। हम पूरे देश में बखूबी यह काम कर रहे हैं तथा हम उत्तर प्रदेश में भी यह काम कर रहे हैं। … (व्यवधान)

जहां तक लखीमपुर खीरी का सवाल है, वहां अंतर-मंत्रालयी समिति के द्वारा यानी कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठते हैं और वहां यूरिया की रिक्वॉयरमेंट 1,21,918 मीट्रिक टन बताई गई थी। … (व्यवधान) इनको 1,30,276 मीट्रिक टन यूरिया दे दी गई है। इनकी जो सेल हुई है, वह 1,25,130 मीट्रिक टन यूरिया है। अभी 5,146 मीट्रिक टन यूरिया स्टॉक में पड़ा हुआ है। यह मैं लखीमपुर खीरी का डेटा बता रहा हूं। … (व्यवधान)

उसी तरह से इनकी डीएपी की रिक्वॉयरमेंट 12,801 मीट्रिक टन थी और इनको 14,847 मीट्रिक टन डीएपी दे दिया गया है। जो सेल हुई है, वह 10,662 मीट्रिक टन है। अभी इनके पास 4,185 मीट्रिक टन डीएपी का स्टॉक पड़ा हुआ है। … (व्यवधान) इनकी एमओपी रिक्वॉयरमेंट 844 मीट्रिक टन थी, इनको वह दिया गया है। इनको 2,377 मीट्रिक टन एमओपी दिया गया है, जिसमें से इनकी सेल सिर्फ 1,839 मीट्रिक टन हुई है। लखीमपुर खीरी में 538 मीट्रिन टन एमओपी पड़ा हुआ है। … (व्यवधान)

महोदय, जहां तक लखीमपुर खीरी का सवाल है, वह सीमावर्ती जिला है। यह प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि वह सीमावर्ती राज्यों में होर्डिंग और स्मगलिंग को रोके। इसको रोकने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है। … (व्यवधान) यह आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत आता है। उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के तहत इसको रोकने और किसानों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है। राज्य सरकारों को पूरी ताकत दी गई है कि वह स्मगलिंग को रोके। … (व्यवधान)

मैं यहां ये भी बताना चाहूंगा कि जहां तक एक्शन का सवाल है, ब्लैक मार्केटिंग के 140 केसेज़ नोट हुए हैं। होर्डिंग के पांच केसेज़, सब-स्टैंडर्ड के 24 केसेज़ और डायवर्जन के 41 केसेज़ नोट हुए हैं। … (व्यवधान) इसमें जो एक्शन लिया गया है, लाइसेंस कैंसिल और सस्पेंड किए गए हैं, ब्लैक मार्केटिंग में उसकी संख्या 2,695 है, होर्डिंग में 62, सब-स्टैंडर्ड में 106, डायवर्जन में 294 तथा कुल 3,157 केसेज़ पर लाइसेंस कैंसिल किए गए हैं या सस्पेंड किए गए हैं। … (व्यवधान)

कारण बताओ नोटिस दिया गया है, जिसकी ब्लैक मार्केटिंग में संख्या 2,811, होर्डिंग में 391, सब-स्टैंडर्ड में 1,351 और डायवर्जन में 1,442 हुए हैं। कुल 5,995 यानी लगभग 6,000 कारण बताओ नोटिसेज़ दिए गए हैं। इस तरीके से 1,58,128 इंस्पेक्शंस हुए हैं। … (व्यवधान)

(1120/DPK/SNT)

अध्यक्ष महोदय, हमारी कोशिश है कि हम स्मगलिंग, डायवर्जन, सब-स्टैंडर्ड और होर्डिंग को बखूबी रोकें। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार बहुत ही तत्परता से कार्य कर रही है। … (व्यवधान)

श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर (खीरी) : महोदय, क्या सरकार की भविष्य में ऐसी कोई योजना है कि किसानों को डायरेक्ट उनके खातों में सब्सिडी दी जाए? … (व्यवधान)

श्री जगत प्रकाश नड्डा : हम लाखों-करोड़ों रुपये की सब्सिडी खाद के माध्यम से देते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट में नहीं देते हैं। भविष्य में ऐसा कोई विचार नहीं है। … (व्यवधान)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल (भटिण्डा) : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि पंजाब में लगातार हर एक सीज़न में डीएपी की बहुत बड़ी शॉर्टेज होती है। … (व्यवधान) उसकी ब्लैक मार्केटिंग इस तरह से होती है कि एक डीएपी का बैग, जिसकी कीमत 1,350 रुपये होती है, यदि उन्हें वह डीएपी बैग चाहिए, तो उसके लिए उन्हें जबरदस्ती 3,000 रुपये तक का दूसरा सामान भी खरीदना पड़ता है। … (व्यवधान) क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि पंजाब के लिए साढ़े पांच लाख मीट्रिक टन का जो एलोकेशन है, उसके अगेंस्ट केन्द्र सरकार ने पिछले तीन सालों में कितना एलोकेशन किया है? … (व्यवधान) इसकी जो भी शॉर्टेज रही है, उसकी भरपाई के लिए क्या किया गया है?… (व्यवधान)

मेरा सवाल इसी के साथ जुड़ा है कि किसानों को डीएपी के सब्स्टीट्यूट के रूप में जो एनपीके भेजा जाता है, जिसकी कीमत 1,720 रुपये है, क्या उसकी सब्सिडी में आप कोई कमी या बढ़ोत्तरी करेंगे? … (व्यवधान) चूंकि चाइना ने अपना एक्सपोर्ट बंद कर दिया है तथा अपनी पॉलिसी बदल दी है, जिसके कारण डीएपी की शॉर्टेज हो रही है और किसानों को डीएपी नहीं मिल रही है। इसलिए किसानों का शोषण न किया जाए। … (व्यवधान) उसे ब्लैक में डीएपी न खरीदना पड़े, इस बारे में आप क्या कर रहे हैं? … (व्यवधान)

आपने अपने रिप्लाई में बोला है कि पंजाब में ब्लैक मार्केटिंग को लेकर 2,323 रेड्स हुई हैं, लेकिन एक भी एफआईआर फाइल नहीं हुई है, क्योंकि मेरी अपनी कांस्टीट्यूएंसी में हर एक सेलर जबरदस्ती ब्लैक मार्केटिंग करके किसानों से पैसा-वसूली कर रहा था, जब उन्हें डीएपी की जरूरत थी। … (व्यवधान)

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Sir, this Question pertains to Lakhimpur-Kheri district of Uttar Pradesh; this Question does not pertain to Punjab. If there is a separate question asked, we will certainly answer. … (*Interruptions*)

(ends)

(pp. 10-30)

(प्रश्न 285)

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नंबर 285.

श्री जुगल किशोर – उपस्थित नहीं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव : अध्यक्ष महोदय, विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री चंदन चौहान – उपस्थित नहीं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं आपसे पुनः आग्रह कर रहा हूं कि प्रश्न काल महत्वपूर्ण समय होता है। आप सदन चलने दीजिए। आपका नारेबाजी करना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। आप नियोजित तरीके से रोज सदन स्थगित कराते हैं। देश की जनता यह देख रही है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपसे पुनः आग्रह कर रहा हूं, यह प्रश्न काल महत्वपूर्ण है। आप अपनी-अपनी सीट पर विराजिए। इस सदन को नियोजित तरीके से बाधित करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। पूरा देश यह देख रहा है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही बारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1124 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1200/SPS/VPN)

1200 बजे

लोक सभा बारह बजे पुनः समवेत् हुई।

(श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी पीठासीन हुए)

…(व्यवधान)

1200 बजे

(इस समय श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत, श्रीमती प्रतिमा मण्डल, डॉ. कलानिधि वीरास्वामी, श्री किशोरी लाल शर्मा और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

… (व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1200 बजे

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण**,** माननीय अध्यक्ष को कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

…(व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1201 बजे

माननीय सभापति: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर - 2, श्रीमती अनुप्रिया पटेल।

…(व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL): Sir, I rise to lay on the Table of the House: -

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 58 of the National Medical Commission Act, 2019: -

   (i) The Medical Institutions (Qualifications of Faculty) Regulations, 2025 published in Notification No. F.No. N-P051(12)/18/2024-PGMEB-NMC in Gazette of India dated 30th June, 2025.

   (ii) The National Medical Commission Registered Medical Practitioner (Professional Conduct) Regulations, 2023 published in Notification No. R-12013/01/2022/Ethics in Gazette of India dated 3rd August, 2023.

(iii) The Guidelines for Under Graduate Courses under Establishment of New Medical Institutions, Starting of New Medical Courses, Increase of Seats for Existing Courses & Assessment and Rating Regulations, 2023 published in Notification No. U. 11022/3/2023-UGMEB in Gazette of India dated 16th August, 2023, together with a corrigendum thereto published in Notification No. CDN-19012/2/2025-Coordination-NMC dated 4th July, 2025.

(iv) The National Medical Commission Registered Medical Practitioners (Professional Conduct) (Amendment) Regulations, 2023 published in Notification No. R-12013/01/2022/Ethics in Gazette of India dated 24th August, 2023.

(v) The "Maintenance of Standards of Medical Education Regulations, 2023" published in Notification No. N-P016/1/2023-PGMEB-NMC in Gazette of India dated 21st September, 2023.

(vi) The Post-Graduate Medical Education Regulations, 2023, published in Notification F.No.CDN-19012/5/2023-Coord-NMC in Gazette of India dated 1st January, 2023.

(vii) The National Medical Commission (Recognition of Medical Qualification) Regulations, 2023 published in Notification No.CDN-19012/5/2023-Coord-NMC(i) in Gazette of India dated 1st January, 2023.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(3) A copy of the Cosmetics (Amendment) Rules, 2025 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 513(E) in Gazette of India dated 29th July, 2025 under Section 38 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : आइटम नंबर 3, श्री संजय सेठ जी।

…(<u>व्यवधान</u>)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SANJAY SETH): Sir, I rise to lay on the Table of the House a copy of the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Senior Administrative Assistant and Administrative Officer (Group 'B' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2025 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.R.O.6 in weekly Gazette of India dated 8th March, 2025 under Article 309 of the Constitution.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : आइटम नंबर 4, श्रीमती सावित्री ठाकुर जी।

…(व्यवधान)

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सावित्री ठाकुर): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) (एक) राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

माननीय सभापति : आइटम नंबर 5, महासचिव।

…(व्यवधान)

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

1202 hours

SECRETARY GENERAL: Sir, I have to report the following message received from the Secretary General of Rajya Sabha: -

> "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 7th August, 2025 agreed without any amendment to the Coastal Shipping Bill, 2025 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 3rd April, 2025."

… (*Interruptions*)

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति
आठवां और नौवां प्रतिवेदन

माननीय सभापति : आइटम नंबर 6, श्री गणेश सिंह जी।

…(व्यवधान)

श्री गणेश सिंह (सतना) : सभापति महोदय, मैं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति (2024-25) के निम्नलिखित की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं **:-**

(1) 'सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु विभिन्न उपायों/योजनाओं का कार्यान्वयन' विषय पर समिति (2024-25) के छठे प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी आठवां प्रतिवेदन।

(2) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के अंतर्गत 'भारत सरकार और संघ राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत पदों और सेवाओं में ओबीसी के लिए आरक्षण नीति का निर्माण और कार्यान्वयन तथा विभिन्न विभागों/संगठनों/संस्थाओं में रोजगार में ओबीसी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' विषय पर समिति (2024-25) के सातवें प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी नौवां प्रतिवेदन।

माननीय सभापति : आइटम नंबर 7, श्री बृजमोहन अग्रवाल जी।

… (व्यवधान)

शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति
368वां प्रतिवेदन

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर) : सभापति महोदय, मैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के कार्यकरण और एनईपी 2020 में शिक्षकों के क्षमता निर्माण पर बल देने के दृष्टिगत शिक्षकों के प्रशिक्षण का समर्थन करने के लिए की गई पहलों की समीक्षा के बारे में शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति का 368वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

माननीय सभापति : आइटम नंबर 8, श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी।

…(व्यवधान)

STANDING COMMITTEE ON INDUSTRY
329th and 330th Reports

SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY (CHEVELLA): Sir, I rise to lay on the Table the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Industry: -

(1) 329th Report on Action taken by the Government on the recommendations/observations contained in the 326th Report of the Committee on "Demands for Grants (2025-26)" pertaining to the Ministry of Heavy Industries.

(2) 330th Report on Action taken by the Government on the recommendations/observations contained in the 327th Report of the Committee on "Demands for Grants (2025-26)" pertaining to the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : आइटम नंबर 9, श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति
394वां से 400वां प्रतिवेदन

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत (हरिद्वार) : सभापति महोदय, मैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों की मांगों (2025-26) के बारे में 387वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 394वां प्रतिवेदन।

(2) जैव प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2025-26) के बारे में 388वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 395वां प्रतिवेदन।

(3) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की अनुदानों की मांगों (2025-26) के बारे में 389वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 396वां प्रतिवेदन।

(4) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2025-26) के बारे में 390वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 397वां प्रतिवेदन।

(5) अंतरिक्ष विभाग की अनुदानों की मांगों (2025-26) के बारे में 391वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 398वां प्रतिवेदन।

(6) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2025-26) के बारे में 392वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 399वां प्रतिवेदन।

(7) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2025-26) के बारे में 393वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 400वां प्रतिवेदन।

(1205/RHL/AK)

माननीय सभापति (श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी) : आइटम नंबर-10, श्रीमती मंजू शर्मा जी।

… (व्यवधान)

कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति
152वां से 154वां प्रतिवेदन

श्रीमती मंजू शर्मा (जयपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिंदी एवं अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं :- …(व्यवधान)

(1) विधि कार्य विभाग (विधि और न्याय मंत्रालय) से संबंधित 'नोटरियों की नियुक्ति' विषय पर समिति के 140वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 152वां प्रतिवेदन।

(2) विधायी विभाग (विधि और न्याय मंत्रालय) से संबंधित 'निर्वाचन प्रक्रिया के विशिष्ट पहलू और उनमें सुधार' पर समिति के 132वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 153वां प्रतिवेदन।

(3) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय) से संबंधित 'भारत सरकार के भर्ती संगठनों के कार्यकरण की समीक्षा' विषय पर समिति के 131वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 154वां प्रतिवेदन।

माननीय सभापति : आइटम नंबर-11, माननीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

… (व्यवधान)

BUSINESS OF THE HOUSE

1206 hours

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Hon. Chairperson Sir, with your permission, I rise to announce that Government Business for the remaining part of the 5th Session of 18th Lok Sabha will consist of:-

1. Consideration of any items of Government Business carried over from today's order paper:- [it contains – Consideration and passing of the following Bills:- (i) The National Sports Governance Bill, 2025; (ii) The National Anti-Doping (Amendment) Bill, 2025; and (iii) The Indian Ports Bill, 2025].

2. Consideration and passing of the Income-Tax Bill, 2025, as reported by Select Committee.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, आज शुक्रवार है और शुक्रवार को नियम 377 के मैटर्स भी लिए जाते हैं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : अगर सदन इस तरह चलेगा, तो बहुत मश्किल होगा। खासकर आप मेज को नहीं बजा सकते हैं। यह ढोल नहीं है। आप मेज को नहीं बजा सकते हैं। कृपया आप यह बंद कीजिए।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please stop this immediately.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You cannot bang the table like this. This is the Parliament. This is the Lok Sabha.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: People have elected you to represent them decently.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You are supposed to behave responsibly and decently.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: This is not the way. This is not done.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: The entire country is watching.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: The entire nation is watching.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I take a very strong objection to banging of the table of the hon. Speaker.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: This will go on record. I take a very strong objection to this. This is not done.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई है।

… (<u>व्यवधान</u>)

नियम 377 के अधीन मामले – सभा पटल पर रखे गए

1208 बजे

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, आज जिन माननीय सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है, वे तुरंत व्यक्तिगत रूप से मामले के अनुमोदित पाठ को सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं।

… (व्यवधान)

Re: Need to formulate comprehensive policies for sustainable repurposing of mine voids in the country

SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO (BOLANGIR): I would like to highlight one significant issue regarding open-cast mine voids and their potential for repurposing. Neglected mine voids, left unmanaged by mining companies, pose significant social, environmental, and governance challenges. These voids deprive communities of land that could be utilized for livelihood opportunities or public welfare. A viable solution lies in repurposing these voids for fly ash disposal. Odisha, with approximately 20 GW of operational thermal power plants and an additional 10 GW in the pipeline, faces a steep increase in coal consumption—from 150 MMT to 220 MMT annually—leading to a surge in fly-ash generation from 55 MMT to 85 MMT per year. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change mandates 100% ash utilization, yet limited avenues for sustainable use create compliance challenges, with penalties of ₹1,000 per metric ton potentially increasing power costs. Repurposing open-cast mine voids offers a dual benefit: effective ash utilization and development of renewable energy infrastructure, aiding compliance with Renewable Generation Obligations set by the Ministry of Power. I urge the Hon'ble Minister of Power to formulate policies for the sustainable repurposing of mine voids, enabling States like Odisha to manage fly-ash effectively while fostering renewable energy development for a sustainable energy.

(ends)

Re: Need to commence functioning of Kendriya Vidyalaya in Aravalli district, Gujarat

श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया (साबरकांठा) : मैं सदन के समक्ष अरवल्ली जिलों, गुजरात के लिए स्वीकृत केन्द्रीय विद्यालय के शीघ्र संचालन के वीषय को सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ। जिला प्रशासन द्वारा विद्यालय हेतु निर्धारित भूमि की जानकारी एवं स्थल की स्थिति से संबंधित प्रस्ताव क्षेत्रीय उपायुक्त (KVS), अहमदाबाद को प्रस्तुत कर दिया गया है। यह भूमि KVS के निर्धारित मानकों के अनुरूप है, किंतु स्थल का समतलीकरण आवश्यक है। वर्ष 2023 से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के साथ निरंतर पत्राचार के बावजूद विद्यालय का संचालन नही हो पाया है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि अरवल्ली जिले के लिए स्वीकृत केंद्रीय विद्यालय को शीघ्र संचालित किया जाये। विद्यालय स्थल के समतलीकरण हेतु आवश्यक धनराशि आवंटित की जाए, जिससे निर्माण कार्य में विलंब न हो। जब तक स्थायी भवन का निर्माण पूर्ण नहीं होता, तब तक KVS के नियमों के अनुरूप किसी किराए के भवन में विद्यालय का संचालन आरंभ किया जाए। मैं माननीय मंत्री जी से इस प्रकरण के समाधान सुनिश्चित करने का आग्रह करती हूँ।

(इति)

Re: Need to restart operation of Dadadham Express (train no 22111/12) between Bhusaval and Nagpur via Khandwa

श्री बंटी विवेक साहू (छिन्दवाड़ा) : मेरा लोकसभा क्षेत्र छिन्दवाड़ा (मध्य प्रदेश) अन्तर्गत छिन्दवाड़ा-पान्दुर्णा भारत के मध्य में स्थित जिले हैं जहाँ पर रेलों का संचालन एवं ब्राडगेज का नेटवर्क विस्तार विलंव से हुआ है। विगत दिनों मेरे द्वारा छिन्दवाड़ा से दादाधाम खण्डवा तक 411 किलोमीटर की पदयात्रा की गई जिसमें क्षेत्र की जनता एवं जिला बैतूल, मुलताई, खण्डवा के नागरिकों द्वारा पूर्व में नागपुर से खण्डवा भुसाबल तक चलने वाली दादा धाम एक्सप्रेस 22111 एवं 22212 को पुनः प्रारंभ कराने का अनुरोध किया गया है। उल्लिखित है कि दादाधाम एक्सप्रेस सवारी गाड़ी कोरोना आपदा के पूर्व नागपुर से खण्डवा भुसाबल तक चलती थी जिससे बड़ी संख्या में दादाजी धूनीवाले के नागपुर, पाण्ढुर्णा, छिन्दवाडा, मुलताई, आमला, बैतूल, इटारसी के भक्तगण यात्रा करते थे। इस संबंध में मेरे द्वारा रेलवे के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों संभागीय बैठक में एवं अन्य मंचों पर अनुरोध किया गया है किन्तु कार्यवाही अपेक्षित है। आपसे अनुरोध है कि दादा धाम एक्सप्रेस, नागपुर से खण्डवा भुसाबल (गाड़ी संख्या 22111 एवं 22112) सवारी गाड़ी का संचालन पुनः शीघ्र प्रारंभ कराने का कष्ट करें।

(इति)

Re: Need to construct a Greenfield four lane road from Garhwa to Panduka bridge in Jharkhand

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू) : मैं सरकार का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। पलामू संसदीय क्षेत्र के चहुँमुखी विकास के लिए एवं सुगम आवागमन हेतु क्षेत्र की जनता द्वारा गढ़वा से मझिआंव होते हुए पंडुका ब्रिज (झारखंड सीमा के अन्त) Greenfield सड़क निर्माण की मांग की जा रही है। इसके निर्माण हो जाने से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ से कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। साथ ही यह क्षेत्र बिजनेस कारिडोर के रूप में विकसित होगा। दक्षिण बिहार के इस इलाके का सीधा संपर्क झारखंड राज्य के कई शहरों से हो सकेगा। पंडुका पुल का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर गढ़वा जिले के मझिआंव, कांडी विशुनपुरा, बरडीहा, भवनाथपुर आदि प्रखंड के लोगों को वाराणसी जाने के लिए 80 किलोमीटर कम दूरी तय करनी पड़ेगी। पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला आदि जिलों के अलावा छत्तीसगढ़ की ओर से आने वाले यात्रियों को जीटी रोड पकड़ने या वाराणसी जाने के लिए तीसरा वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हो जाएगा। अतः मेरा माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी से अनुरोध हैं कि गढ़वा से मझिआंव, कांडी होते हुए पंडुका ब्रिज तक (झारखंड राज्य की सीमा) 4-लेन Greenfield सड़क का निर्माण कराने की कृपा की जाए।

(इति)

Re: Need to provide benefits of 'SVAMITVA' Scheme and 'PM UDAY' Scheme to residents of villages in Delhi

श्री योगेन्द्र चांदोलिया (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) : मैं दिल्ली के 320 ग्रामीण गांवों के निवासियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहा हूं। दिल्ली के 320 ग्रामीण गांवों के निवासियों को 'स्वामित्व' (SVAMITVA) योजना और पीएम उदय (PM UDAY) योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। इस कारण, वे ऋण और अन्य आवश्यक सुविधाओं से वांछित हैं जबकि इन 320 ग्रामीण गांवों के अलावा अन्य दिल्ली मे दोनों योजनाओं का लाभ सभी को मिल रहा है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इन 320 ग्रामीण गांवों के निवासियों को दोनों योजना पीएम स्वामित्व (PM SVAMITVA) और पीएम उदय (PM UDAY) योजना का लाभ हर ग्राम निवासियों को तत्काल दिया जाना चाहिए।

(इति)

Re: Need to provide compensation of land acquired for setting up power plant in Sidhi district, Madhya Pradesh as per the provisions contained in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013

डॉ. राजेश मिश्रा (सीधी) : मेसर्स आर्यन पॉवर जनरेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पॉवर प्लांट स्थापित करने हेतु सीधी जिला (मध्य प्रदेश) के ग्राम मूसामूड़ी के 374 खातेदारों की निजी भूमि 87,334/-रुपये प्रति एकड़ की दर से अर्जित की गयी | इसी प्रकार ग्राम भुमका के 137 खातेदारों की निजी भूमि अर्जन 61,907/- रुपये प्रति एकड़ की दर से की गई | दोनों ग्रामों के कुल 511 खातेदारों की कुल 935.42 एकड़ एवं म.प्र. शासन की कुल 133.00 एकड़ भूमि अर्जन किया गया। खातेदारों और म.प्र. शासन की भूमि को मिला कर कुल 1068.42 एकड़ भूमि का अर्जन किया गया, इस अर्जन को किये हुए 15 वर्ष हो गए हैं | मेरा अनुरोध है कि नया भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनार्व्यवास्थाप्न में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 में प्रावधान है कि यदि अधिकतम किसानों ने मुआवजा राशि नहीं ली है तो अधिग्रहण की कार्रवाई पुनः नए कानून के अनुसार करनी होगी| नए क़ानून के प्रभावशील होने के दिन मूसामूडी एवं भुमका ग्राम के अधिग्रहण प्रभावित अधिकतम किसानों ने मुआवजा नहीं लिया है अतः नए कानून के अनुसार कार्यवाही की जाये। यदि उक्त कंपनी अपने वांछित उद्योग को स्थापित करने में असफल हो रही है तो किसानों वह जमीन वापस दे दी जाए।

(इति)

Re: Need to set up Water Sports Complex and Boat Club at Mohanpura dam site in Rajgarh Parliamentary Constituency

श्री रोडमल नागर (राजगढ़) : मेरा लोकसभा क्षेत्र राजगढ़ (मध्यप्रदेश) केन्द्र सरकार व मध्यप्रदेश शासन के बहुआयामी प्रयासों से मोहनपुरा, कुण्डालिया डेम के माध्यम से जल संरचनाओं का निर्माण कर कृषि क्षेत्र में विगत एक दशक में आकांक्षी से आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुआ है। आधारभूत सरचनाओं के निर्माण के साथ उद्योग, स्वास्थ्य व शिक्षा के क्षेत्र में भी अनेक ऐतिहासिक संकल्प सिद्ध किये जा रहे है। क्षेत्र के होनहार राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय खिलाड़ियों द्वारा 'समय-समय पर स्थानीय स्तर से मिली सुविधाओं से सम्पूर्ण प्रयास कर जलक्रीडा के क्षेत्र मे विभिन्न स्तर पर उच्चतर स्थान बनाया है। क्षेत्र के युवाओं की अत्याधुनिक तकनीकों से युक्त वृहद स्पोर्टस काम्पलेक्स की निरंतर मांग रही है। मोहनपुरा डैम में वाटर स्पोर्टस कॉम्पलेक्स व बोट क्लब के निर्माण से क्षेत्र के युवाओं के शारीरिक व मानसिक विकास के साथ खेल गतिविधियों का प्रसार तो होगा ही साथ ही क्षेत्र के पर्यटन में भी उल्लेखनीय वृद्धि होकर सर्वागीण विकास का मार्ग प्रशस्त डोगा । अतः क्षेत्र के युवाओं के हित में मोहनपुरा डैम स्थल राजगढ़ पर वाटर स्पोर्ट्स काम्पलेक्स बोट क्लब की स्थापना की स्वीकृति देकर अनुग्रहित करें।

(इति)

Re: Need to provide benefit of 'Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries' to Bronze and Brass industry in Chichli in Hoshangabad Parliamentary Constituency

श्री दर्शन सिंह चौधरी (होशंगाबाद) : मेरे लोकसभा क्षेत्र होशंगाबाद (मध्य प्रदेश) अन्तर्गत नगर परिषद चीचली में लगभग 300 परिवार पारंपरिक/पुश्तैनी रूप से पीतल एवं कांसे के बर्तन आदि बनाने का कार्य करते हैं। आज यह उद्योग वर्तमान में अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। इसके लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा भारत सरकार की स्कीम ऑफ फंड फॉर रिजेनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज (स्फूर्ति) के अंतर्गत मेरे लोकसभा क्षेत्र के चीचली शहर में डीएफओ MSME द्वारा 700 से ज़्यादा कारीगरों का वेरिफिकेशन कर, मेटल क्लस्टर की DPR तैयार कराई गई थी। सदन के माध्यम से मै माननीय मंत्री जी से इस पर उचित और त्वरित कार्यवाही कर उद्योग को नई ऊर्जा प्रदान करने का आग्रह करता हूं। 1. क्या सरकार की कोई योजना है जिससे इन परिवार के जीवन को नई दिशा मिल सके. 2. तैयार डी पी आर के संबंध मे विवरण प्रदान करें।

(इति)

Re: Requirement of land for the proposed Military Station at Deoghar, Jharkhand

DR. NISHIKANT DUBEY (GODDA): Deoghar has been included in the list of prominent cities and has been declared as a mega tourist destination by the Ministry of Tourism, Govt. of India. Deoghar is a unique and extremely revered site of one of the 51 Shaktipeeths and also of Dwadash Jyotirlings in the country. This is a religious and cultural capital of Eastern India which catapults the holy place to an International acclaim and is visited by over 5 crore pilgrims every year. However, I would like to draw the attention of Hon'ble Minister of Defence to the issues regarding the requirements of land for the proposed Military Station, the area available will be approximately 400 acres which can be reduced or increased once the feasibility is done. The land will be near the ongoing DRDO centre project at Deoghar; DRDO Lab at Deoghar; Ordinance Factory or any defence infrastructure project at Deoghar; Sainik School at Godda; and Defence Recruitment Centre at Deoghar. Further, it is stated that the large parts of the State are affected by Naxalism and terrorism. The spread of Naxalism and terrorism is an indication of the sense of desperation and alienation that is sweeping over the large sections of Jharkhand's Santhal Pargana region, which have not only been systematically marginalized but also cruelly exploited and dispossessed.

(ends)

Re: Need to take remedial action to prevent frequent accidents occurring on N.H 162-E in Rajsamand Parliamentary Constituency

श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ (राजसमन्द) : मेरे संसदीय क्षेत्र राजसमन्द (राजस्थान) में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग 162-E (हल्दीघाटी खमनोर से निचली ओडन तक) सड़क निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है परन्तु इस सड़क निर्माण कार्य में अनेक खामियाँ हैं। जैसे सड़क निर्माण के लिए जहाँ पहाड़िया काटी गई हैं वहाँ अब पत्थर और पहाड़ दरक रहे हैं और इस सम्बन्ध में युक्तियुक्त सुरक्षा उपायों के समायोजन का अभाव भी दृष्टिगत हो रहा है। सड़क के किनारे रेलिंग के द्वारा भी सुरक्षा का भी समुचित प्रबंधन नहीं किया जा सका है। राजमार्ग पर निचली ओडन से हल्दीघाटी तक लगभग 13 कि.मी. की टू-लेन में लगभग 25 अत्यधिक घुमावदार मोड़ हैं और सरसूनिया के पास तो विगत एक माह में कई सड़क हादसे हो चुके हैं जिसमें जान-माल की भी हानि हो चुकी है नियमों के अनुरूप पौधारोपण भी नहीं किया गया है। अत: मेरी सरकार से मांग है कि आपसे विनम्र निवेदन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 162-E पर हल्दीघाटी खमनोर से निचली ओडन तक बन चुकी सड़क में अधिक संख्या में बने घुमावदार मोड़ व सड़क सुरक्षा उपायों के साथ सड़क किनारे किये गए पौधारोपण कार्यों की समीक्षा तथा लगातार हो रहे सड़क हादसों को रोकने के शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही की जाये।

(इति)

Re: Need to run Bhuj-Bandra Terminus weekly SF Express (train no. 12960 and 12966) on daily basis

श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर (बनासकांठा) : मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान निम्न रेल गाड़ियों पर दिलाना चाहती हूँ, जिन्हे साप्ताहिक से दैनिक कराने की मांग है। जैसे, भुज – बांद्रा गाड़ी संख्या 12966 जो प्रत्येक शुक्रवार को भुज से गांधीधाम, भाभर, डीसा और पालनपुर होकर बांद्रा जाती है, तथा गाड़ी संख्या 12960 जो प्रत्येक सोमवार को इसी मार्ग पर चलती है, वर्तमान मे सप्ताह में केवल दो दिन ही संचालित होती है। इस क्षेत्र (भाभर, डीसा, राधनपुर, भीलड़ी, थराद, सुईगाम और वाव) से सूरत और मुंबई के लिए प्रति दिन 35 से अधिक निजी बसें चलती हैं। दैनिक ट्रेन सेवा के अभाव मे स्थानीय लोगों को मजबूरी मे बस से यात्रा करनी पड़ती है, जिससे लोगों को अतिरिक्त आर्थिक बोझ और मानसिक तनाव होता है। यदि इन ट्रेनों को दैनिक कर दिया जाए तो न सिर्फ भाभर बल्कि राधनपुर, भीलड़ी, डीसा एवं थराद जैसे बड़े तहसीलों की जनता को बहुत महत्वपूर्ण सुविधा मिलेगी। इससे ट्रेनों को पर्याप्त यात्री भी मिलेंगे, जिससे रेल विभाग को भी लाभ होगा। अतः आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि उपरोक्त गाड़ियों को दैनिक कराकर स्थानीय लोगों को सुविधा प्रदान कराने की कृपा करें।

(इति)

Re: Need for an Integrated Framework to address maritime issues including situations arising out of accidents of vessels carrying hazardous cargo

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): I wish to draw the attention of the Hon'ble House to the mounting threat of maritime accidents involving vessels carrying hazardous cargo-gravely endangering marine ecosystems and coastal livelihoods. Recently, on May 25, 2025, off the coast of Thottappally in Alappuzha district, Kerala, the Liberian-flagged M.V. ELSA 3 sank, carrying 643 containers—13 with hazardous materials, plus plastic nurdles. Its sinking caused widespread fear, environmental harm, and economic disruption—halting fishing activities and seafood consumption for local communities. While Kerala has declared this a State-specific disaster, similar losses could occur anywhere in India, especially as maritime trade and port expansions surge. Lack of stringent monitoring, enforcement of international conventions, rapid-response systems, and poor public awareness exacerbate the risks. I therefore urge the Union Government to adopt a national framework for managing maritime accidents involving all cargo; reinforcement of obligations under international maritime conventions, including MARPOL and the Nairobi Wreck Removal Convention; ensure rapid deployment of environmental disaster response teams; establish standard compensation mechanisms for affected coastal populations; mandate environmental impact assessment and risk audits for vessels entering Indian waters. This disaster is not an isolated event, but a warning sign for future generations. Thereby, I request the Hon'ble Minister of Environment, Forest and Climate Change and the Minister of Ports, Shipping, and Waterways to address this issue urgently.

(ends)

Re: Alleged transfer of tribal and community owned land in 6th schedule areas in Assam to private companies

SHRI GAURAV GOGOI (JORHAT): There is growing concern over the large-scale transfer of tribal and community-owned land in Assam, particularly in the Bodo, Karbi, and Dima Hasao Autonomous Council areas to private corporations. These transfers violate the Sixth Schedule of the Constitution and the Forest Rights Act. In Karbi Anglong, Dima Hasao, Kokrajhar, Nagaon, and Golaghat, thousands of acres have been allocated for solar parks, cement factories, power plants, and luxury tourism projects without the free, prior, and informed consent of Gram Sabhas, Autonomous Councils, or affected communities. Many of these projects are located in ecologically sensitive zones, such as the peripheries of Kaziranga and Chandubi, which threaten biodiversity and livelihoods. Reports highlight coercive land acquisition, manipulated records, and the bypassing of local governance. The National Commission for Scheduled Tribes and agencies, such as the ADB, have raised serious concerns. A moratorium on land transfers in Sixth Schedule areas, a Joint Parliamentary Committee inquiry, and immediate tabling of the 125th Constitutional Amendment Bill are essential to protect indigenous rights and constitutional safeguards.

(ends)

Re: Need to expedite completion of Muthalapozhi Fishing Harbor project in Kerala

ADV. ADOOR PRAKASH (ATTINGAL): Union Government has approved a project for the development of Muthalapozhi Fishing Harbor in Kerala in November 2024. The approved project for Rs. 177 crore is scheduled to be completed in 18 months. But unfortunately, no work has been started even after nine months of sanctioning the project. Concerned authorities are not ready to provide the details of the implementation plan according to the Detailed Project Report. This project was approved to ensure harbor safety after many protests and regular follow up with the Central Government. Nearly seventy five fishermen lost their lives in boat accidents within the harbour since 2015. The further delay in the implementation of the approved project is not justifiable. In recent months, fishermen were unable to go to sea due to sand accumulation in the estuary. Continuous accidents are occurring in the harbor and it is essential to take immediate steps to ensure the safety of fishermen. I request the Union Government to take immediate measures for implementation of this project without further delay.

(ends)

Re: Need to confer Padma Award on Baba Jhumdev, social reformer of Maharashtra

श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे (रामटेक) : मैं सदन के माध्यम से यह मांग करता हूँ कि बाबा झुमदेव जी को मरणोपरांत "पद्म भूषण" सम्मान से सम्मानित किया जाए। बाबा झुमदेव जी ने महाराष्ट्र, विशेषकर विदर्भ और नागपुर क्षेत्र में सामाजिक सुधार का व्यापक कार्य किया। उन्होंने झुमदेव धर्म मिशन की स्थापना कर नशामुक्ति, मांसाहार-त्याग, छुआछूत-उन्मूलन, स्त्री-सशक्तिकरण और सामाजिक समरसता के लिए आजीवन संघर्ष किया। विदर्भ के सैकड़ों गाँवों में उन्होंने व्यसनमुक्ति अभियान चलाया, जिससे लाखों लोगों का जीवन बदला। उन्होंने दलित, आदिवासी और वंचित समुदायों को आत्मगौरव, शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। उन्होंने जातिवाद, अंधविश्वास और भेदभाव के विरुद्ध जनजागृति फैलाई और ग्राम स्तरीय सभा-संवादों के माध्यम से लोगों को संगठित किया। उनकी शिक्षाएं आज भी युवाओं को नैतिकता, समानता और सेवा भाव की प्रेरणा देती हैं। अतः मेरी सरकार से आग्रह है कि ऐसे युगपुरुष को पद्म भूषण सम्मान से मरणोपरांत सम्मानित किया जाए।

(इति)

Re: Delay in implementation of schemes under Jal Jeevan Mission

डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे (लातूर) :15 अगस्त, 2019 देशभर में शुरु की गयी केन्द्र सरकार की महत्वकांक्षी योजना -"हर घर जल" का प्रारम्भिक लक्ष्य दिसम्बर 2024 तक 16 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करना था जिससे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पेयजल प्राप्त कर सके। इस अवधि में इस लक्ष्य का केवल 75 प्रतिशत लक्ष्य ही प्राप्त हो सका जिसे अब दिसम्बर, 2028 बढ़ा दिया गया है । जल शक्ति मंत्रालय से सम्बद्ध संसदीय स्थायी समिति ने भी इस सदन में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में देश के 17 राज्यों में जल जीवन मिशन के कियान्वयन में हो रहे विलम्ब पर अपनी चिंता व्यक्त की है। इस मिशन के अंतर्गत अक्तूबर, 2024 से केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र को केन्द्रीय सहायता नहीं दी है। यही नहीं इस कार्य के लिए नियुक्त ठेकेदारों को राज्य सरकार उनका बकाया करीब बारह हजार करोड़ रुपये का भुगतान नहीं कर पा रही है। इन ठेकेदारों की संस्था इस कारण आंदोलित है। इस प्रकार जल जीवन मिशन में पर्याप्त बजट के अभाव में अनेक राज्यों की कई परियोजनाएं या तो प्रभावित हो गयी है अथवा लंबित हो गयी है। केन्द्र सरकार को अपनी इस महत्वाकांक्षी योजना को समय पर पूरा करने के लिए अपनी प्रतिवद्धता दोहरानी चाहिए ।

(इति)

Re: Need to establish Departments of cancer and cardiology in Government Medical College, Ambedkar Nagar, Uttar Pradesh

श्री लालजी वर्मा (अम्बेडकर नगर) : जिला अयोध्या एवं अम्बेडकरनगर में कैंसर एवं हृदय रोग सम्बन्धी बीमारियों के इलाज की सुविधा नही है जिसके कारण उक्त रोग से पीड़ित मरीजों को इलाज के लिए लखनऊ अथवा अन्य दूर के जगहों पर जाना पड़ता है। जिसके कारण बहुत से मरीज इलाज के अभाव में दम तोड़ देते है। अतः उक्त तत्कालिक एवं लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार राजकीय मेडिकल कालेज अम्बेडकर नगर में कैंसर एवं हृदय रोग विभाग की स्थापना करने में सहयोग करें।

(इति)

Re: Need to include Hamlets in Etah Parliamentary Constituency under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana based on realistic population data

श्री देवेश शाक्य (एटा) : माननीय वित मंत्री महोदया द्वारा 23 जुलाई 2025 को संसद में देशभर की लगभग 25,000 अनजुडी ग्रामीण बस्तियों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-4 द्वारा संपर्क मार्ग प्रदान किये जाने की घोषणा की गयी थी। इस क्रम में अतर प्रदेश में अपची आई यू में अगस्त 2024 में 100 तथा 100 से अधि आबादी का डेटा माँगा यात्रा सितंबर 2024 में 250 से अधिक आबादी का डेटा माँगा गया। सक्षम स्तर से जारी हर्तमान आबादी के आंक और प्रमाणपत्र भी इस योजना की वेबसाइट पर अपनीड कराए गये जिसके फलस्वरूप संसदीय क्षेत्र कासगंज एटा के जिले पटा में 24 तथा जनपद कासगंज 35 अर्थात कुल 50 मजरे पाव पाये गये थे इससे हमेशा से अनजुड़े रहे ऐसे मजरी की जनता में शीष ही सर्व ऋतु मागों से जुड़ने की आशा जाग्रत हुई थी।

किन्तु दिसंबर 2024 में इस योजना की जारी विस्तृत गाइडलाइन्स में अनुजुड़े मजरों की आबादी का आधार वर्तमान आबादी न मानकर वर्ष 2011 को माना गया। 14 वर्ष पुराने आबादी के आआंकड़ों के आधार पर किसी जन कल्याणकारी योजना की प्लानिंग, अतार्किक और जन सामान्य की अपेक्षाओं के विपरीत प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त जारी गाइडलाइन्स में आकांक्षात्मक विकास खण्डों में 250 तथा गैर आकांक्षात्मक विकास खंडों में 500 की न्यूनतम आबादी की शर्त भी इस कल्याणकारी योजना के लाभ में भेदभाव उत्पन्न करती है जिसे आम जनता स्वीकार नहीं कर रही है। इसके परिणाम स्वच्प जनपद कासगंज तथा एटा में जहाँ वर्तमान आबादी की आधार पर पहले 59 पार मजरे धाये गये थे, वह अब घटकर मात्र 13 रह गये हैं। मेरी जानकारी में आया है कि इस त्रुटिपूर्ण निर्णय के कारण देश के सबसे बड़े प्रदेश, उत्तर प्रदेश में 600 से भी कम मजरे ही योजना की गाइडलाइन्स के अनुरूप पात्र हो पा रहे हैं, यह आंकड़ा इस योजना से अपेक्षाओं को निराश करने वाला है।

अतः निवेदन है कि विश्व की सबसे बड़ी ग्रामीण सड़क निर्माण की इस योजना में आबादी का आधार वर्ष 2011 न मानकर जल निगम द्वारा जल जीवन मिशन हेतु वर्ष 2024 में किये गये सर्वे के फलस्वरूप, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट पर अकित आबादी के आकड़ों को ही जाधार माना जाये तथा मैदानी क्षेत्र के सभी विकास खण्डों में बिना आकांक्षात्मक विकास खण्ड का भेदभाव किटं न्यूनतम आबादी 250 के मानदंड को ही अंगीकार किया जाये ताकि देश की अधिकतम जनता इस योजना के लाभ से आच्छादित हो सके।

(इति)

Re: Need to expedite publication of Keezhadi Excavations Report

DR. T. SUMATHY *ALIAS* THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): The excavations at Keezhadi in Tamil Nadu has brought to light over 20,000 ancient artifacts. The ASI had made every possible attempt to stall and shunt the publication of excavations report. The excavations by Archaeological Survey of India (ASI), Tamil Nadu State Department of Archaeology (TNSDA) have uncovered an "undeniable evidence of an existence of a secular, sophisticated, scientifically advanced culture in Tamil Nadu" dating back to 6th Century BC. The Keezhadi excavations has yielded significant artifacts, wall structures, drainage systems and wells, Iron Smelters and pottery with Tamil-Brahmi inscriptions all evidence of a well advanced urban society that thrived and potential links to a secular civilization. The Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu has directed the officials of State Department of Archaeology to establish a Site Museum at Keezhadi. The radio carbon dating of samples from Keezhadi have been scientifically proved that the archaeological evidences are over 2,560 years old. Sir, an archaeological excavation, if not published, is a recorded destruction of evidences. If the publication is not done properly in time it amounts to destruction of the archaeological evidences. The lackadaisical approach of the Archaeological Survey of India (ASI) and the inordinate delay of final report publication of excavation report has become a focal point of controversy and the ongoing debates over its findings have not only hindered the full recognition and celebration of the Dravidian Civilization but render injustice to the whole Tamil Nadu and its people. Therefore, I urge the Union Government to expedite the publication of reports on Keezhadi excavations compiling all the evidences brought to the light by Archaeologists from Archaeological Survey of India in a transparent manner without any further delay.

(ends)

Re: Need to sanction birth waiting halls in all the tribal Primary Health Centres in Palanadu, Andhra Pradesh

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): I wish to draw the attention of the House to a serious gap in maternal healthcare in the Palnadu district of Andhra Pradesh, where seven tribal Primary Health Centres (PHCs) currently lack birth waiting halls. These facilities are critical to ensuring safe and timely institutional deliveries in remote areas. Birth waiting halls allow pregnant women, especially those in their final weeks, to stay close to healthcare centres. This reduces delays during labour, particularly during night-time or emergencies, and ensures access to skilled healthcare providers, improving both maternal and neonatal outcomes. These centres also serve as platforms for health education, nutritional support, and awareness around safe motherhood. In the last two years alone, Palnadu has recorded 9 maternal deaths and 175 infant deaths, which is deeply concerning. The establishment of birth waiting halls in these underserved tribal areas will not only encourage institutional deliveries but also reduce mortality rates, improve health outcomes, and offer a cost-effective and safe environment for expectant mothers. I urge the Hon'ble Ministry to urgently consider sanctioning birth waiting halls in all seven tribal PHCs in Palnadu to safeguard the health and lives of mothers and newborns.

(ends)

Re: Need to provide budgetary support for railway infrastructure development in Nashik, Maharashtra in view of Sinhastha Kumbh Mela proposed to be held in the State

SHRI RAJABHAU PARAG PRAKASH WAJE (NASHIK): I would like to draw the attention of Government to the urgent need for focused railway infrastructure development in Nashik in view of upcoming Sinhastha Kumbh Mela. Nashik is expected to witness an unprecedented inflow of lakhs of devotees from across the country, and the existing railway infrastructure is inadequate to handle such a large-scale pilgrimage movement efficiently. While cities like Prayagraj have received substantial financial assistance — exceeding ₹2,000 crore — for Kumbh-related railway projects, similar support is necessary for Nashik. Key proposals requiring urgent attention include: renovation and modernisation (Multimodal) of Nashik Road railway station; fast-tracking of critical projects such as the Nashik–Pune railway line, Manmad–Malegaon–Indore rail link, and Nashik–Dahanu rail connectivity; introduction of suburban local train services from Nashik to Mumbai, Bhusawal, Dhule, and Sambhajinagar; and long-distance train services from Nashik to Surat, Jodhpur, Kolhapur, Pandharpur, Puri, Ajmer, and Chennai. Additionally, around 250 acres of available railway land in Nashik should be utilised for establishment of a locomotive and coach manufacturing or maintenance unit. I urge the Government to ensure timely implementation and adequate budgetary support for these projects, which are essential for the success of the upcoming Kumbh Mela and the long-term economic development of the region.

(ends)

Re: Safety and security of minorities

DR. M. P. ABDUSSAMAD SAMADANI (PONNANI): I rise to echo the timeless warning of Lord Acton: "The most certain test by which we judge whether a country is really free is the amount of security enjoyed by minorities." That test, tragically, is being compromised in today's India. In Assam's Golpara district, eviction drive has put the muslim community in problem. Families who once dreamt beneath roofs now sleep under skies of despair. This is not eviction; it is erasure. It stains the secular spirit of our Constitution. Far away in Chhattisgarh, on July 25th, two Catholic nuns were arrested at Durg railway station. They were accompanying three adult women, with valid consent, for work in Agra. Yet mob fury eclipsed legality, and faith was treated as offence. These are not isolated wounds—they are symptoms of a deeper malady, where the state should come forward as protector. I urge the Government to halt these demolitions, free the innocent, and probe the prejudice that masquerades as policy.

(ends)

Re: Need to restore Old Pension Scheme

एडवोकेट चन्द्र शेखर (नगीना) : 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को नई पेंशन योजना (NPS) के तहत रखा गया है, जिसमें रिटायरमेंट के बाद सामाजिक सुरक्षा और गारंटीड पेंशन का अभाव है। कर्मचारी संगठन लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने की मांग कर रहे हैं। कई राज्यों ने OPS लागू कर भी दिया है, लेकिन केंद्र सरकार अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। सरकार से मेरा प्रश्न: 1. क्या केंद्र सरकार OPS बहाल करने पर विचार कर रही है, ताकि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सम्मानजनक जीवन मिल सके? 2. NPS में गारंटीड पेंशन का प्रावधान लाने की सरकार की क्या योजना है? 3. कर्मचारियों के आंदोलन और मांगों के बावजूद सरकार OPS बहाली पर मौन क्यों है? पुरानी पेंशन कोई सुविधा नहीं, बल्कि कर्मचारियों का अधिकार है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि OPS बहाली पर जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए।

(इति)

HON. CHAIRPERSON: I am once again requesting you that there are very important Bills to be taken up in this Session.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You cannot storm like this every time. You are doing it every time.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You are not allowing the business to be taken up.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: There are very objectionable behaviour patterns that I am observing. This is not done.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please understand this. The entire nation is watching.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: The entire country is watching.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Your own electorate -- who voted you and sent you here to behave responsibly -- are also watching you. You cannot do like this.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I am requesting you to please go back to your seats. Kindly go back to your seats.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I will listen to you. I will give you an opportunity.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please go back to your seats.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : कृपया आप सब अपनी-अपनी सीट्स पर जाइये।

… (<u>व्यवधान</u>)

(1210/KN/SRG)

माननीय सभापति (श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी) : मैं आपकी बात सुनूंगा।

… (<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, सभा की कार्यवाही तीन बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

… (<u>व्यवधान</u>)

1210 बजे

<u>तत्पश्चात् लोक सभा पन्द्रह बजे तक के लिए स्थगित हुई।</u>

(1500/RAJ/SM)

1500 बजे

लोक सभा पन्द्रह बजे पुनः समवेत् हुई।

(श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी पीठासीन हुए)

… (व्यवधान)

1500 बजे

(इस समय श्री बी. मणिक्कम टैगोर, श्रीमती शताब्दी राय बनर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please be seated.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please be seated.

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया आप बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please be seated.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I will listen to you.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please go back to your seats.

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया आप अपनी-अपनी सीट पर आसीन हो जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : मैं आपकी बात सुनूंगा।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप सभी अपनी-अपनी चेयर पर जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: I will listen to you.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : मैं आपकी बात सुनना चाहता हूं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया आप बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Kindly be seated.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : कृपया आप बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: I will listen to you. Please go back to your seats.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : माननीय वित्त मंत्री जी।

… (व्यवधान)

*INCOME TAX BILL

(As reported by Select Committee)

1502 hours

THE MINISTER OF FINANCE; AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I beg to move for leave to withdraw the Bill to consolidate and amend the law relating to income-tax. … (*Interruptions*)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि आय-कर अधिनियम से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN Sir, I withdraw the Bill.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Kindly be seated.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I want to listen to you, but not like this.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : आप बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप क्या चाहते हैं?

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Do you want me to listen to you?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया, आप सभी अपनी-अपनी सीट पर पधारिए। मैं आपकी बात सुनूंगा।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

---

* The Bill was introduced on 13 February, 2025 and referred to the Select Committee of Lok Sabha for examination and report. The Report of the Select Committee was presented to Lok Sabha on 21 July, 2025. A Statement containing reasons for which the Bill is being withdrawn has already been circulated to members today (8.8.2025).

संसदीय कार्य मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू) : सभापति महोदय, आज फ्राइडे है।... (व्यवधान) फ्राइडे माननीय मैम्बर्स का ही दिन होता है।... (व्यवधान) विशेष कर अपोजिशन पार्टी के माननीय मैम्बर्स के लिए बहुत बड़ा अवसर होता है।... (व्यवधान) अपोजिशन पार्टी के माननीय सदस्य बिजनेस ट्रांसजैक्शन करने में डिस्टर्ब कर रहे हैं।... (व्यवधान) आज अपोजिशन पार्टी ने प्राइवेट मैम्बर बिल्स, प्राइवेट मैम्बर्स बिजनेस के टाइम को भी बर्बाद किया है।... (व्यवधान) यह बहुत दु:ख की बात है। ... (व्यवधान) भविष्य में आप लोग यह नहीं कहेंगे कि सरकार ने सहयोग नहीं किया है।... (व्यवधान) सरकार ने शुरू से कहा है कि वह नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार है।... (व्यवधान)

सर, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि आज आप लोगों ने प्राइवेट मैम्बर बिल्स को भी डिस्टर्ब किया है।... (व्यवधान) इसलिए हम बहुत दु:खी हैं।...(व्यवधान)

(1505/NK/GM)

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, आज प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस की अनुमति दें, कई मेंबर्स ने पूछा है।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 11 अगस्त, 2025 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1505 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 11 अगस्त 2025 / 20 श्रावण, 1947 (शक)
के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।